

2025/528 ✓

पत्र-6

"खाता दुरुस्ती आयेदन-पत्र"  
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवा में,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी माण्डल,

माण्डल

विषय- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम लुहारिया की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2073 के खाता संख्या 693 में

श्री अरुण पुत्र नारायण के बजाय श्री अरुण नारायण सिंह

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी अरुण

दिनांक- 18.09.25

(अरुण सिंह/नारायण सिंह)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम लुहारिया के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2073 के खाता संख्या 693 में प्रार्थी का नाम अरुण नारायण दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न अरुण नारायण जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम अरुण सिंह/नारायण संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

Dinesh  
18/09/2025

पटवारी

(19)

भू.अ.नि.

Mou Surin

दिनांक- 18/9/25

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 - लुहारिया

अरुण लुहारिया I

रिपोर्ट तहसीलदार अरुण

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी लुहारिया व भू.अ.नि. लुहारिया एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम लुहारिया की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2073 की खाता संख्या 693 में प्रार्थी का नाम अरुण नारायण के बजाय अरुण सिंह किये जाने हेतु अभिशंका की जाती है।

अरुण  
तहसीलदार, माण्डल  
जिला भीलवाड़ा

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अरुण ग्राम लुहारिया जमाबन्दी सम्वत् 2074 2073 खाता संख्या 693 में दर्ज प्रार्थी का नाम अरुण नारायण को स्थान पर अरुण सिंह नारायण संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा